



श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर

राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यार्थी कल्याण योजनाएँ / छात्रवृत्तियाँ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

योजना का नाम	पात्रता	आय सीमा	राशि	जानकारी हेतु Site
1. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (सभी दर्गा की छात्राओं हेतु)	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान का मूलनिवासी RBSE बोर्ड – 12वीं में 65 प्रतिशत या अधिक CBSE बोर्ड – 12वीं में 75 प्रतिशत या अधिक राजकीय व निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में 12वीं उत्तीर्ण 12वीं उत्तीर्ण के बाद अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा 	लाभार्थी छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो।	स्कूटी	hte.rajasthan.gov.in
2. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना (1. बंजारा, बालदिया, लाबाना, 2. गाडिया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैवारी (देवासी) 5. गडरिया (गाडरी) गायरी	<ol style="list-style-type: none"> RBSE/CBSE बोर्ड की 12वीं 50 प्रतिशत या अधिक महाविद्यालय की नियमित छात्रा राजस्थान का मूलनिवासी 	वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो	स्कूटी / प्रोत्साहन राशि— प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक लाने पर 10 हजार वार्षिक पीजी प्रिवियस में 20 हजार एवं प्रिवियस में 50 प्रतिशत से अधिक लाने पर 20 हजार पीजी फाईनल में प्रोत्साहन राशि देय है।	hte.rajasthan.gov.in
3. मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति योजना	<ol style="list-style-type: none"> पिछली एवं आगामी कक्षाओं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अध्ययन के दौरान अंतराल मान्य नहीं महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी राजस्थान का मूलनिवासी 	लाभार्थी छात्र/छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए	जून से मार्च प्रत्येक माह 500 रु. (विकलांग के लिए 1000 रु. प्रति माह)	hte.rajasthan.gov.in

उत्तर मैट्रिक छान्वृति योजना	राज. का मूलनिवारी राखी कॉलेजों में नियमित अध्ययनरत (SC,ST,OBC, SBC, EBC, EWS, DNTs आदि)	लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय वर्गवार (SC/ST-2.50 लाख, OBC-1.50 लाख, EWS-1.00 लाख, DNTs-2.00 लाख से कम होनी चाहिए	राशि 160 से 750 प्रति माह	sje.rajasthan.gov.in
5. अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना	जिला मुख्यालय की राजकीय कॉलेज में नियमित अध्ययनरत (SC,ST,OBC, MBC, EWS आदि)	लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय वर्गवार (SC/ST/MBC -2.50 लाख, OBC-1.50 लाख, EWS-1.00 लाख, से कम होनी चाहिए	राशि 2000 प्रतिमाह	sje.rajasthan.gov.in
6. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (विभिन्न Profession al Course एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु)	10वीं उत्तीर्ण (SC,ST,OBC, MBC, EWS व Minority आदि)	लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 8.00 लाख से कम	10 हजार से 75 हजार तक वार्षिक	sje.rajasthan.gov.in

7. राजीव गाँधी स्कॉलरशि प फॉर एकेडमिक एविसलेंस	राजस्थान के मूल निवासी 200 मेधावी विद्यार्थी 30 प्रतिशत महिला।	प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम	विदेशों के 150 विश्वविद्यालय / संरथान में पढ़ाई में 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस फ्री।	hte.rajasthan.gov.in
8. उड़ान योजना –	राजस्थान की मूल निवासी महिला / लड़कियां		निःशुल्क सेनेट्री नेपकीन	
9. पालनहार योजना	राजस्थान के सभी अनाथ / एड्स पीड़ित / विकलांग / परित्यकता / तलाकशुदा / आजीवन कारावासी के पुत्र / पुत्री 2–6 वर्ष तक के बच्चे का आंगनवाड़ी जाना जरूरी।	प्रतिवर्ष 1. 20 लाख से अधिक नहीं।	5–18 वर्ष तक के स्कूल / कॉलेज के नियमित विद्यार्थी प्रतिमाह 1000 रुपये व हर वर्ष 2000 अतिरिक्त	sje.rajasthan.gov.in
10. श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना	राजस्थान के श्रमिक की अधिकतम 2 संतान तक		25 हजार तक वार्षिक	sje.rajasthan.gov.in
11. कोरोना से मृत्यु वालों की संतान का कॉलेज में अतिरिक्त सीट पर प्रवेश				dce.rajasthan.gov.in